

①
3024
31/7/09



असंशोधित

22 JUL 2009

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 2-कार्यवाही-प्रश्नोत्तर रहित)

प्रतिवेदन साखा
नं० स० प्र० सं० ४४२ तिथि ३०-७-०९

सर्वश्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, नितिन नवीन एवं अन्य तीन सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (मंत्रिमंडल सचिवालय(नागरिक उड्डयन)विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : अध्यक्ष महोदय, बिहार फ्लाईंग क्लब द्वारा बिहार के होनहार बच्चों को पायलट का ट्रेनिंग काफी लम्बे अर्से से दिया जा रहा है, परन्तु कॉमर्शियल लाईसेन्स निर्गत करने हेतु अपेक्षित नियम नहीं रहने के कारण उन बच्चों को कॉमर्शियल लाईसेन्स प्राप्त नहीं होता है, जिससे वे प्रशिक्षण के बाद भी रोजी-रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और दर-दर भटकते रहते हैं । ये होनहार लड़के काफी गरीब घरों से आते हैं, जिसमें दलित एवं अल्पसंख्यक समुदाय के भी लड़के होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसे नहीं होती है जो प्रतिस्पर्धा के दौर में अधिक राशि भुगतान कर बाहर से लाईसेन्स प्राप्त कर सके । इनके पास संसाधन भी नहीं है जो मार्केट रेट पर फ्लाईंग आवर्स की राशि का भुगतान कर कॉमर्शियल लाईसेन्स प्राप्त कर सके ।

अतः बिहार के जनआकांक्षाओं एवं आवश्यकता को देखते हुए बिहार फ्लाईंग क्लब की नियमावली में आवश्यक संशोधन कर कॉमर्शियल लाईसेन्स देने का प्रावधान किये जाने के लिए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह,मंत्री : समय चाहिए ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण समाप्त हुआ ।

सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय सभापति, लोक लेखा समिति ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,सभापति, लोक लेखा समिति : मैं, सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) की कंडिका पर बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम २३९ के अन्तर्गत लोक लेखा समिति का ४५२वाँ प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सभा की कार्यवाही २.०० बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।